



Neutral Citation No - 2026:AHC:35969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4326

मुन्नीलाल एवं 12 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अचल सिंह, भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अन्तर्गत आरम्भ की गई कार्यवाहियों में जिलाधिकारी/कलेक्टर, चित्रकूट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.11.2025 वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई है कि चुनौती के अधीन उपर्युक्त आदेश एक अन्तर्वर्ती आदेश है और आज पर्यन्त कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। आदेश का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :-

"वादग्रस्त भूमि मूलतः श्रेणी-6 बीहड की सुरक्षित भूमि है अथवा नहीं तथा कृषि कार्य हेतु प्रतिवादीगण को आवंटन किस आधार पर किया गया है, के संबंध में न्यायहित में उभय पक्षों को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रस्तुत प्रकरण समय सीमा से बाधित होना न पाते हुए तदनुसार उक्त विन्दु निस्तारित किया जाता है। पत्रावली उभय पक्ष साक्ष्य / बहस हेतु दिनांक 04.12.2025 को पेश हो।"

3. उपर्युक्त के परिशीलन के पश्चात्, न्यायालय पूर्णतः आश्वस्त है कि प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अभी भी विचाराधीन है और आज पर्यन्त कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 की उपधारा (4) के अनुसार कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश धारा 210 के उपबंधों के अधीन अन्तिम होगा। याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अन्तर्गत यथा उपबंधित समुचित आवेदन प्रस्तुत कर उपर्युक्त आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक उपचार भी उपलब्ध है।

4. प्रकरण की इस स्थिति में, वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है, अतः उपर्युक्त दोनों आधारों पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"